प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तों को हुई चार-चार वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक: 02.11.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में दिनांक 01.11.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 03 गैंगस्टर अभियुक्तों को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस-दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना कोतवाली नगर से सम्बन्धित मु0अ0सं0 2623/2010 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम 1.आसिफ पुत्र सलीम निवासी सी0-112 आवास विकास कालोनी सीतापुर 2.फजल पुत्र अफसर अली निवासी बेगमबाग सीतापुर 3.सफदर पुत्र रहमत निवासी मो0 सदर बाजार, कोतवाली नगर सीतापुर में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 01.11.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (यू.पी.गैंगेस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-07 सीतापुर द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगणों को अन्तर्गत धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....